

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी किये गये

04.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर सिविल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.04.1999 में पारित स्थाई निषेधाज्ञा की पालना में अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़, अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के नाम नामानरण दर्ज करने से वर्जित रहे के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक/भू.अ./2024/626 दिनांक 04.03.2024 के अनुसार चक 11 पी के मु.नं. 160/5 कि.नं. 1, 7ता10, 24 व 25 कुल 1.695 है। कृषि भूमि के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.04.1999 में पारित स्थाई निषेधाज्ञा है। प्रार्थी इसका ऑनलाईन जमाबन्दी में नोट लगवाना चाहता है। पटवारी हल्का द्वारा ~~से~~ स्थाई निषेधाज्ञा का नोट चक 11 पी के सम्बन्धित खाता संख्या 53 में अंकित कर दिया गया है।

प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की पालना सुनिश्चित करने व स्थाई निषेधाज्ञा की पालना में नामान्तरण दर्ज करने से वर्जित रहने के बाबत आदेश तहसीलदार अनूपगढ़ को दिये जाने के अनुतोष पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार जमाबंदी में स्थगन का अंकन कर दिया गया है। तहसीलदार के द्वारा प्रतिवेदन के साथ जमाबंदी की प्रति भी प्रस्तुत की गयी है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा वांछित अनुतोष अनुसार तहसीलदार द्वारा जमाबंदी में स्थगन का नोट अंकित कर दिया है इसलिए प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह गयी है। लिहाजा प्रार्थना पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अवधेश मीना) I.A.S.

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

